

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल कटनी

फोन नं; 07622-227417 (कार्या.), 220700 (फैक्स), Email-dfotkatn@mp.gov.in

## Recommendation Letter (अनुशंसा पत्र)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर द्वारा नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) (गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग) के खण्ड चांदघाट से कटनी कि.मी. 119+65 से कि.मी. 163+85 के निर्माण में पडने वाली वन भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

| क्र.       | परिक्षेत्र का नाम | वनकक्ष क्रमांक | प्रभावित वन भूमि |                 |            |
|------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|
|            |                   |                | लम्बाई<br>(मी.)  | चौड़ाई<br>(मी.) | रकबा (हे०) |
| 1          | कटनी              | आर.एफ. 80      | 1100             | 20              | 2.200      |
| 2          |                   | आर.एफ. 86      | 300              | 20              | 0.600      |
| कुल योग :- |                   |                | 1400             | 20              | 2.800      |

प्रस्ताव मार्ग चौड़ीकरण से संबंधित है। उक्त चौड़ीकरण में आवेदक संस्थान द्वारा कुल 2.80 हे० वन भूमि का उपयोग किया जावेगा। चूंकि प्रस्ताव वर्तमान स्थिति अनुसार 01 हे० से अधिक वनभूमि व्यपवर्तन का होता है। अतः उक्त परिस्थिति में प्रतिपूरक वनीकरण की आवश्यकता है। परन्तु आवेदक संस्थान द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार किया जाना संभव नहीं है।

दिनांक/12.02.2019

स्थान : कटनी

  
(संध्या)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

 सामान्य वनमंडल कटनी